



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन: 0141-2740172

क्रमांक:प.1(1)कार्मिक/सीधी भर्ती/2025/2496

दिनांक: 07-02-2025

—:कार्यालय आदेश:—

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के अन्तर्गत **कम्प्यूटर ऑपरेटर(सहायक प्रोग्रामर)** के पद पर प्रथमतः 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में पे-बेण्ड (33800-106700) लेवल L-10 के अन्तर्गत (प्रतिमाह फिक्स वेतन 23700/-) नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान देय होगा। अभ्यर्थियों का निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है—

Sr Num	Name	Field Attachement Office	Posting Place
1	KALVINDAR SINGH	CE. HQ, HO, Jaipur	CE. HQ, HO, Jaipur
2	PRABHANSHU KAJALA	CE Cell -I, Jaipur	CEM HO, Jaipur
3	KESHAV SHARMA	CE Cell -II, Jaipur	Pension Cell, HO. Jaipur
4	PRADEEP KUMAR	Computer Cell, HO, Jaipur	Computer Cell, HO, Jaipur
5	PIYUSH GODARA	DHC Circle, Bikaner	DHC Circle, Bikaner

उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरान्त नवीन पदस्थापन कार्यालय में तत्काल कार्यग्रहण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सचिव



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अ.(मु.)/प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं.,जयपुर।
5. निजी सचिव-सचिव /वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं. जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं. जयपुर।
7. उपआवासन आयुक्त वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर, वृत्त प्रथम/ द्वितीय जोधपुर, बीकानेर,उदयपुर,अलवर,कोटा रा.आ.मं. जयपुर।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता..... रा.आ.मं. जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भुगतान)/जीपीएफ/पेंशन/एसीआर/गोपनीय/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक),मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करवाने हेतु।
11. संबंधित श्री.....
12. रक्षित पत्रावली।

सचिव